मुख्य परीक्षा

भारत-इथियोपिया संबंध

संदर्भ

भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को हाल ही में उनकी अदीस अबाबा की यात्रा के दौरान **इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान 'ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' से सम्मानित किया गया।**

हाल की यात्रा के मुख्य परिणाम -

- **द्विपक्षीय संबंधों** को **सामरिक भागीदारी** के स्तर तक बढ़ाया गया, जो दीर्घकालिक सहयोग के एक नए चरण का प्रतीक है।
- **G-20 साझा ढांचे** के तहत इथियोपिया के लिए **ऋण पुनर्गठन** पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जो वैश्विक ऋण राहत प्रयासों के प्रति भारत के समर्थन को दर्शाता है।
- व्यापार सुगमीकरण और अनुपालन को बढ़ाने के लिए **सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक प्रशासनिक सहायता** पर एक समझौता किया गया।
- डिजिटल शासन और डेटा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए इथियोपिया के विदेश मंत्रालय में एक **डेटा केंद्र** स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- **संयुक्त राष्ट्र शांति सेना संचालन** प्रशिक्षण में सहयोग के लिए एक **कार्यान्वयन व्यवस्था** पर सहमति बनी, जिससे रक्षा और सुरक्षा सहयोग और गहरा हुआ है।
- **भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद** की छात्रवृत्तियों को दोगुना कर दिया गया, जिससे शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का विस्तार हुआ।
- क्षमता निर्माण के समर्थन में **भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम** के तहत इथियोपियाई छात्रों और पेशेवरों के लिए **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस** में विशेष अल्पकालिक पाठ्यक्रम पेश किए गए।
- भारत ने अदीस अबाबा स्थित **महात्मा गांधी अस्पताल** की क्षमता बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई, विशेष रूप से **मातृ स्वास्थ्य सेवा और नवजात देखभाल** के क्षेत्र में।

भारत-इथियोपिया संबंधों की पृष्ठभूमि -

- **भारत-इथियोपिया संबंध 2,000 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं, जो अक्सुमाइट साम्राज्य (पहली शताब्दी ईस्वी) के समय के हैं, जब दोनों क्षेत्र हिंद महासागर व्यापार नेटवर्क से जुड़े हुए थे।**
- भारतीय व्यापारियों ने विशेष रूप से छठी शताब्दी ईस्वी के दौरान, अडुलिस के प्राचीन **लाल सागर बंदरगाह** के माध्यम से इथियोपियाई सोने और हाथी दांत के बदले रेशम और मसालों का व्यापार किया।
- 16वीं शताब्दी में, गोवा के भारतीय सैनिकों और शिल्पकारों ने विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध इथियोपियाई राजा की सहायता के लिए पुर्तगाली सेना के साथ प्रस्थान किया था।
- **इथियोपिया पर इटली के कब्जे (1936-1941) के दौरान, ब्रिटिश नेतृत्व वाली सेना में भारतीय सैनिकों की एक बड़ी संख्या शामिल थी।**

वर्षों में विकास -

- भारत और इथियोपिया G20, ब्रिक्स और वैश्विक दक्षिण शिखर सम्मेलनों के दौरान प्रधानमंत्रियों की बैठकों सहित नियमित उच्च स्तरीय मुलाकातों के माध्यम से मजबूत संबंध बनाए रखते हैं।
- **2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 550.19 मिलियन अमेरिकी डॉलर था**, जिसमें भारत के पक्ष में एक महत्वपूर्ण व्यापार अधिशेष था।

- **इथियोपिया** में **भारत शीर्ष तीन विदेशी निवेशकों में शामिल** है, जहाँ **675 से अधिक भारतीय कंपनियों ने 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है।**
- वर्तमान में लगभग 2,500 भारतीय इथियोपिया में निवास कर रहे हैं, जिनमें शिक्षक, पेशेवर और भारतीय एवं इथियोपियाई उद्यमों को सहयोग प्रदान करने वाले श्रमिक शामिल हैं।

भारत के लिए प्रमुख अवसर -

- **रणनीतिक और भू-राजनीतिक:** हॉर्न ऑफ अफ्रीका के प्रमुख देश और अफ्रीकी संघ के मेजबान के रूप में इथियोपिया की भूमिका अफ्रीका में भारत के राजनयिक पदचिह्न को बढ़ाती है।
    - इथियोपिया की ब्रिक्स सदस्यता दक्षिण-दक्षिण और बहुपक्षीय मंचों में समन्वय के नए रास्ते खोलती है।
- **आर्थिक और निवेश:** बड़ा घरेलू बाजार(109 मिलियन+) और विनिर्माण आधार इथियोपिया को पूर्वी अफ्रीका और एएफसीएफटीए (अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र) बाजारों के प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित करता है।
    - भारत के नवीकरणीय ऊर्जा, बैटरी और सेमीकंडक्टर क्षेत्रों के लिए खनन(सोना, महत्वपूर्ण खनिज, दुर्लभ मृदा) में महत्वपूर्ण गुंजाइश।
    - फार्मास्यूटिकल्स, कृषि-प्रसंस्करण, कपड़ा, हल्के विनिर्माण और निर्यात-उन्मुख उद्योगों में मजबूत क्षमता।
- **शिक्षा और क्षमता निर्माण:** इथियोपियाई शिक्षा में भारत की ऐतिहासिक भूमिका से गहरी सद्भावना।
    - भारत में इथियोपियाई छात्रों का भारी संख्या में आगमन हो रहा है, जिसमें अफ्रीका में पीएचडी शोधार्थियों का सबसे बड़ा समूह भी शामिल है।
    - डिजिटल शिक्षा, कौशल, व्यावसायिक प्रशिक्षण, एआई और एसटीईएम सहयोग का विस्तार करने की गुंजाइश।
- **रक्षा और सुरक्षा:** प्रशिक्षण और संस्थागत संबंधों सहित लंबे समय से चला आ रहा रक्षा सहयोग।
    - नए रक्षा समझौता ज्ञापनों के तहत भारत के पास लागत प्रभावी, युद्ध में परखे हुए रक्षा प्लेटफार्मों की आपूर्ति करने और प्रशिक्षण का विस्तार करने का अवसर है।
- **ऊर्जा और बुनियादी ढांचा:** इथियोपिया की विशाल जलविद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता भारतीय प्रौद्योगिकी, वित्तपोषण और ईपीसी भागीदारी की गुंजाइश प्रदान करती है।

भारत-इथियोपिया संबंधों में प्रमुख चुनौतियाँ -

- **राजनीतिक और आंतरिक स्थिरता:** नागरिक संघर्ष की विरासत और राष्ट्रीय सुलह के लिए चल रहे प्रयास राजनीतिक अनिश्चितता पैदा करते हैं।
- **आर्थिक और नियामक:** विदेशी मुद्रा की कमी, कराधान के मुद्दे और नियामक अप्रत्याशितता निवेशकों को रोकती है।
    - भौगोलिक रूप से चारों ओर से भू-भाग से घिरे होने के कारण बुनियादी ढांचे और रसद संबंधी बाधाएं और भी बढ़ जाती हैं।
- **खनन-विशिष्ट बाधाएँ:** अविकसित खनन पारिस्थितिकी तंत्र, नियामक अंतराल, पर्यावरण सुरक्षा उपाय और परिवहन बाधाएँ।
- **रक्षा एवं वित्तपोषण:** आईएमएफ की शर्तें इथियोपिया की रक्षा या बुनियादी ढांचे से संबंधित बड़ी खरीद के लिए वित्तीय गुंजाइश को सीमित करती हैं।
- **भारतीय व्यवसायों के लिए परिचालन चुनौतियाँ:** अनुमोदन में देरी, नीतिगत असंगति, और लाभ प्रत्यावर्तन में कठिनाई पर भारतीय प्रवासियों और निवेशकों द्वारा प्रकाश डाला गया।

आगे की राह -

- नियमित नेतृत्व-स्तरीय संवाद और परिणाम-उन्मुख क्षेत्रीय कार्य समूहों के माध्यम से रणनीतिक साझेदारी को संस्थागत बनाना।

- भारतीय निवेशकों को आकषत करने के लिए विदेशी मुद्रा और विनियामक बाधाओं को दूर करते हुए दोहरे कराधान के परिहार और द्विपक्षीय निवेश संधि का आधुनिकीकरण करना।
- महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने और निर्यातोन्मुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए खनन, नवीकरणीय ऊर्जा और विनिर्माण में सहयोग को गहरा करना।
- आईएमएफ-संगत ढांचे के भीतर प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और कैलिब्रेटेड डिफेंस ऑफ क्रेडिट के माध्यम से रक्षा सहयोग का विस्तार करना।
- दीर्घकालिक लोगों से लोगों और ज्ञान-आधारित संबंधों को मजबूत करने के लिए शिक्षा, कौशल और डिजिटल क्षमता-निर्माण साझेदारी को बढ़ाना।

स्रोत: द हिंदू

भारत-ओमान संबंध

संदर्भ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओमान यात्रा ने भारत की हिंद महासागर और पश्चिम एशिया रणनीति में एक प्रमुख भागीदार के रूप में ओमान की भूमिका की पुष्टि की है।

भारत-ओमान संबंधों की झलक -

- **राजनयिक संबंध:** भारत और ओमान ने 1955 में औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए, जिन्हें 2008 में रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया गया।
- **व्यापार संबंध:** ओमान वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का 28वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 6.70 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2017-18) से बढ़कर 10.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2024-25) हो गया।
- **व्यापार विविधीकरण:** भारत ओमान के गैर-तेल आयात का चौथा सबसे बड़ा स्रोत और गैर-तेल निर्यात का तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य है, जो हाइड्रोकार्बन से इतर विविधीकरण को दर्शाता है।
- **निवेश संबंध:** ओमान में 6,000 से अधिक भारत-ओमान संयुक्त उद्यम काम करते हैं, जिनकी संचयी पूंजी लगभग 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- **FDI प्रवाह:** 2000 और 2025 के बीच भारत में ओमान का संचयी FDI इक्विटी प्रवाह 605.57 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- **फिनटेक सहयोग: RuPay को वर्ष 2022 में ओमान में लॉन्च किया गया।**
- **रक्षा सहयोग:** दोनों देश थल सेना (**अल नजाह**), वायु सेना (**ईस्टर्न ब्रिज**) और नौसेना (**नसीम अल बहर**) के बीच द्विवार्षिक त्रि-सेवा सैन्य अभ्यास आयोजित करते हैं।
- **सामुद्रिक महत्व:** हॉर्मुज जलडमरूमध्य के निकट ओमान की रणनीतिक स्थिति, जिसके माध्यम से भारत अपने कच्चे तेल का लगभग पांचवां हिस्सा आयात करता है, भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए इसके महत्व को रेखांकित करती है।
- **बंदरगाह पहुंच: 2018** में, भारत ने **दुक्म बंदरगाह** तक पहुँच प्राप्त करने हेतु **एक समझौते पर हस्ताक्षर किए**, जो ओमान के दक्षिण-पूर्वी तट पर अरब सागर और हिंद महासागर के सम्मुख रणनीतिक रूप से स्थित है, तथा ईरान के चाबहार बंदरगाह के निकट है।

हाल की यात्रा के हालिया परिणाम -

- **भारत और ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते(CEPA) के औपचारिक हस्ताक्षर की दिशा में आगे बढ़े, जो द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में एक प्रमुख मील का पत्थर है।**
    - CEPA से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलने, सीमा शुल्क को सुगम बनाने, सेवाओं को उदार बनाने और कई क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने की अपेक्षा है।
- मस्कट में आयोजित भारत-ओमान बिजनेस समिट ने दोनों देशों के व्यवसायों के बीच व्यापार और निवेश सहयोग को गहरा करने के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान की।
- भारत ने तीव्र आर्थिक विस्तार और नीतिगत सुधारों के बीच भारत की विकास यात्रा में भागीदार बनने के लिए ओमान की कंपनियों और स्टार्टअप्स को आमंत्रित किया।

स्रोत: द प्रिंट

हाल ही में निर्यात में वृद्धि

संदर्भ

भारत के वस्तु निर्यात (merchandise exports) में नवंबर में 22% की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे सितंबर और अक्टूबर में आई गिरावट का क्रम पलट गया। कई उत्पादों पर अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के बावजूद यह सबसे मजबूत निर्यात प्रदर्शनों में से एक रहा।

निर्यात में वृद्धि के पीछे के कारण -

- **निर्यातकों द्वारा लागत का वहन:** भारतीय निर्यातकों ने अमेरिका के साथ निकट भविष्य में व्यापार समझौते की उम्मीद में बाजार तक पहुंच बनाए रखने के लिए अमेरिकी टैरिफ लागतों का वहन किया।
- **बाजार विविधीकरण:** न केवल अमेरिका में बल्कि चीन, हांगकांग और यूरोप में भी निर्यात तेजी से बढ़ा, जिससे एकल बाजार पर निर्भरता कम हो गई।
    - **चीन-जापान व्यापार तनाव:** चीन द्वारा जापानी आयात पर लगाए गए प्रतिबंधों ने भारतीय निर्यात, विशेष रूप से समुद्री भोजन को बढ़ावा दिया, जिसके परिणामस्वरूप चीन को निर्यात में 90% और हांगकांग को निर्यात में 35% की वृद्धि हुई।
    - **यूरोप में सीबीएएम से पहले स्टॉक करना:** यूरोपीय खरीदारों ने यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) से पहले आयात को प्राथमिकता दी, जिससे इंजीनियरिंग निर्यात को बढ़ावा मिला।
- **टैरिफ-छूट वाले क्षेत्रों में वृद्धि:** इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य पदार्थों, चाय, कॉफी और मसालों में मजबूत विस्तार, जो कम या कोई अमेरिकी टैरिफ का सामना नहीं करते हैं।
- **आधार प्रभाव:** पिछले वर्ष लाल सागर संकट के कारण हुए व्यवधानों के कारण नवंबर का निर्यात कम आधार पर बढ़ा।
- **रुपये का अवमूल्यन:** कमजोर रुपये ने विदेशी खरीदारों के लिए कीमतों को कम करके भारतीय निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया।
- **इंजीनियरिंग निर्यात में स्थिरता:** भारत की सबसे बड़ी निर्यात श्रेणी, इंजीनियरिंग वस्तुएं, यूरोपीय मांग की बदौलत 30% से अधिक की वृद्धि के साथ फिर से पटरी पर आ गई है।

समस्याएँ जो अभी भी बनी हुई हैं -

- **उच्च अमेरिकी टैरिफ बाधाएं:** 50% का टैरिफ अमेरिकी बाजार में कई भारतीय उत्पादों को लगातार गैर-प्रतिस्पर्धी बना रहा है।
- **प्रतिद्वंद्वियों को ऑर्डर का हस्तांतरण:** वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देश भारत की कीमत पर दीर्घकालिक ऑर्डर प्राप्त कर रहे हैं।
- **व्यापार समझौते की अनिश्चितता:** निर्यातक समयबद्ध भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के आश्वासन के बिना लागत का बोझ स्वयं वहन कर रहे हैं।
- **लॉजिस्टिक्स संबंधी संवेदनशीलता:** लाल सागर मार्ग के निरंतर परिहार (avoidance) के कारण माल ढुलाई की लागत उच्च बनी हुई है और आपूर्ति श्रृंखलाएं नाजुक हैं।
- **अल्पकालिक कारकों पर निर्भरता:** निर्यात वृद्धि संरचनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता के बजाय बेस इफेक्ट (आधार प्रभाव), स्टॉकपिलिंग (भंडारण) और मुद्रा अवमूल्यन द्वारा संचालित है।
- **यूरोप में नियामक जोखिम:** आगामी सीबीएएम (CBAM) कार्बन-गहन भारतीय निर्यात की लागत में वृद्धि करेगा।
- **सीमित मूल्यवर्धन:** निम्न और मध्यम-मूल्य वाले विनिर्माण पर अत्यधिक निर्भरता मूल्य निर्धारण की शक्ति (pricing power) को कम करती है।

इन मुद्दों को कैसे संबोधित किया जा सकता है -

- टैरिफ रोलबैक (शुल्क वापसी) और दीर्घकालिक बाजार पहुंच सुरक्षित करने के लिए अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता को फास्ट-ट्रैक (त्वरित गति) प्रदान करना।

- पीएलआई (PLI) योजनाओं, प्रौद्योगिकी उन्नयन और 'स्केल इकोनॉमी' (बड़े पैमाने की मितव्ययिता) के माध्यम से निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।
- बंदरगाह लागत कम करके, कंटेनर उपलब्धता का विस्तार करके और शिपिंग मार्गों का विविधीकरण करके लॉजिस्टिक्स लचीलेपन को सुदृढ़ करना।
- हरित विनिर्माण, कार्बन अकाउंटिंग और जलवायु वित्त सहायता के माध्यम से निर्यातकों को सीबीएएम (CBAM) के लिए तैयार करना।
- यूरोपीय संघ (EU), यूनाइटेड किंगडम (UK) और हिंद-प्रशांत भागीदारों के साथ एफटीए (FTA) के माध्यम से बाजार विविधीकरण को बढ़ावा देना।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025

संदर्भ

केंद्र सरकार विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025 पेश करने की तैयारी में है, जो NEP 2020 के अनुरूप UGC, AICTE और NCTE को प्रतिस्थापित करके एक एकल उच्च शिक्षा नियामक संरचना का प्रस्ताव करता है।

विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) के बारे में -

- **संरचना: तीन परिषदों का समन्वय करने वाला एक अम्ब्रेला आयोग:**
  - **नियामक परिषद** – विकसित भारत शिक्षा विनियमन परिषद
  - **मानक परिषद** – विकसित भारत शिक्षा मानक परिषद
  - **प्रत्यायन परिषद** – विकसित भारत शिक्षा गुणवत्ता परिषद
- **संरचना:**
  - **आयोग:**
    - **अध्यक्ष:** केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रतिष्ठित व्यक्ति।
    - **सदस्य (≤12)**:
      - तीनों परिषदों के अध्यक्ष
      - उच्च शिक्षा सचिव (शिक्षा मंत्रालय)
      - राज्य उच्च शिक्षा संस्थानों के दो प्रोफेसर
      - पांच विशेषज्ञ
  - **परिषद:** प्रत्येक परिषद का नेतृत्व एक अध्यक्ष (न्यूनतम 10 वर्ष का प्रोफेसर अनुभव) द्वारा किया जाएगा।
    - प्रत्येक परिषद में **अधिकतम 14 सदस्य होंगे**।
      - **नियामक और मानक परिषदों में शामिल हैं:** दो वरिष्ठ शिक्षाविद, राज्य संस्थानों से एक शिक्षाविद, एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नामित व्यक्ति (चक्रीय आधार पर)
      - **प्रत्यायन परिषद में शामिल हैं:** राज्य संस्थानों से दो शिक्षाविद, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों से तीन शिक्षाविद
- **शक्तियाँ:**
  - **जुर्माने की शक्तियों में तेजी से वृद्धि**: उल्लंघन के लिए **₹10 लाख से ₹2 करोड़** तक का जुर्माना।
  - संस्थानों को डिग्री प्रदान करने का दर्जा देने या उसे निरस्त **करने की शक्ति** ।
  - नीति की व्याख्या पर विवाद में केंद्र का फैसला अंतिम।
  - केंद्र आयोग **या परिषदों को छह महीने तक के लिए अधिक्रमित कर सकता है**।
- **कार्य:**
  - **नियामक परिषद:** संस्थानों की स्थापना और संचालन के लिए न्यूनतम मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
    - संस्थानों की श्रेणीबद्ध स्वायत्तता और पूर्ण प्रत्यायन की सुविधा प्रदान करना।
    - वित्त, पाठ्यक्रम और शासन का ऑनलाइन सार्वजनिक प्रकटीकरण अनिवार्य करना।
    - भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश और मानकों को विनियमित करना।
  - **मानक परिषद:** शिक्षण परिणामों (learning outcomes), योग्यता ढांचे और शैक्षणिक मानकों को तैयार करना।
    - संस्थानों और कर्मचारियों की योग्यता के लिए न्यूनतम मानदंड निर्धारित करना।
    - भारतीय ज्ञान, भाषाओं और कलाओं के एकीकरण को बढ़ावा देना।

- **प्रत्यायन परिषद:** एक संस्थागत प्रत्यायन ढांचा विकसित करना।
  - सार्वजनिक प्रकटीकरण के आधार पर मूल्यांकन और मान्यता की निगरानी करना।

प्रमुख कमियां/चिंताएं -

- शुल्क विनियमन शक्तियों का अभाव, जो उच्च शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने की क्षमता को कमजोर करता है।
- विनियमन से वित्तपोषण को अलग करने से संसाधन आवंटन में जवाबदेही और इक्विटी (समता) कम हो सकती है।
- अत्यधिक केंद्रीकरण, जिसमें केंद्र के पास सर्वोपरि अधिकार हैं और राज्यों की भूमिका सीमित है।
- पिछले सुधार प्रस्तावों के विपरीत, राज्य उच्च शिक्षा परिषदों का हाशिए पर जाना।
- तदनुरूप वित्तीय सहायता के बिना उच्च जुर्माना, जो विशेष रूप से छोटे संस्थानों के लिए बोझिल है।
- नियामक अतिरेक (regulatory overreach) का जोखिम, क्योंकि स्वायत्तता को कठोर दंडात्मक शक्तियों के साथ जोड़ा गया है।
- पेशेवर शिक्षा क्षेत्रों (चिकित्सा, कानूनी, दंत चिकित्सा, फार्मा) का बहिष्करण, जो समग्र सुधार को सीमित करता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

अरावली पर्वतमाला का संरक्षण

संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय (नवंबर 2025) ने अरावली पहाड़ियों और पर्वतमाला की एक समान, वैज्ञानिक परिभाषा तय की है, नए खनन पट्टों और उनके नवीनीकरण पर रोक लगा दी है, और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में सतत खनन के लिए एक प्रबंधन योजना (एमपीएसएम) तैयार करने का निर्देश दिया है।

अरावली से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश -

- **एक समान परिभाषा अपनाई गई: केवल 100 मीटर से अधिक ऊँचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं का हिस्सा माना जाएगा।**
- **नए खनन पर रोक:** वैज्ञानिक मानचित्रण और प्रभाव आकलन पूरा होने तक नए खनन पट्टे और नवीनीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- **सतत खनन के लिए प्रबंधन योजना (MPSM):**
    - खनन-निषिद्ध क्षेत्रों (no-mining zones) का सीमांकन।
    - सीमित और कड़ाई से विनियमित खनन क्षेत्रों की पहचान।
    - पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों, वन्यजीव गलियारों और एक्विफर (भूजल स्तर) का मानचित्रण।
    - संचयी पर्यावरणीय प्रभावों और वहन क्षमता (carrying capacity) का आकलन।
    - स्पष्ट बहाली और पुनर्वास उपाय।
- **वैज्ञानिक मानचित्रण अनिवार्य:** सभी राज्यों में अरावली पर्वतमाला का व्यापक मानचित्रण।
- वायु प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए पत्थर-कुचलने वाली इकाइयों का सख्त विनियमन।
- **मौजूदा कानूनी खनन की निरंतरता:** अवैध खनन माफियाओं के उदय को रोकने के लिए कड़े विनियमन के तहत अनुमति दी गई।

अरावली पर्वतमाला के बारे में -

- **यह विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं (fold mountain ranges) में से एक है, जो प्रीकैम्ब्रियन युग की है।**
- **यह लगभग 690 किमी तक विस्तारित है, जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर फैली हुई है।**
- इसका उद्गम पालनपुर (गुजरात) के पास होता है और यह दिल्ली रिज (Delhi Ridge) के पास समाप्त होती है।
- **सर्वोच्च शिखर: राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में स्थित गुरु शिखर (1,722 मीटर)।**
- **यह मुख्य रूप से आग्नेय (igneous) और कायांतरित (metamorphic) चट्टानों जैसे नीस (gneiss), शिस्ट (schist), क्वार्टजाइट और संगमरमर से निर्मित है।**

अरावली पर्वतमाला का महत्व -

- **मरुस्थलीकरण के खिलाफ बाधा:** थार रेगिस्तान और सिंधु-गंगा के मैदानों के बीच एक प्राकृतिक विभाजन बनाता है।
- **जलवायु और वायु-गुणवत्ता नियामक:** स्थानीय जलवायु को स्थिर करता है और धूल और कण प्रदूषण को कम करता है।
- **जल सुरक्षा:** भूजल पुनर्भरण और बनास, साहिबी, साबरमती और लूनी जैसी नदियों के स्रोत क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है।
- **जैव विविधता समर्थन:** वन, वन्यजीव गलियारे, संरक्षित आवास और जलभृत पुनर्भरण क्षेत्रों की मेजबानी करता है।
    - उदाहरण के लिए, यहाँ 200 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ और तेंदुए, धूसर लंगूर, लकड़बग्घे, सियार, हनी बैजर और जंगली बिल्लियाँ जैसे लुप्तप्राय स्तनधारी जीव पाए जाते हैं।

- **आर्थिक संसाधन:** बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, और सीसा, जस्ता, तांबा, सोना और टंगस्टन जैसे खनिजों से भरपूर, हालांकि इसका अत्यधिक दोहन किया जाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं:** यह संरक्षण मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीसीडी) के तहत भारत के दायित्वों के अनुरूप है।

अरावली पर्वतमाला से जुड़े मुद्दे -

- **अत्यधिक और अवैध खनन:** पत्थर, रेत और खनिजों के अनियंत्रित निष्कर्षण ने वनस्पति, जलभृत और मिट्टी को नुकसान पहुंचाया है, जिससे मरुस्थलीकरण और पारिस्थितिक नुकसान हुआ है।
    - उदाहरण के लिए, भीलवाड़ा (राजस्थान) के पास हाल ही में किए गए एक ड्रोन सर्वेक्षण में कानूनी सीमाओं से परे बड़े पैमाने पर खनन का खुलासा हुआ।
- **वायु और धूल प्रदूषण:** पत्थर तोड़ने और खनन से धूल और कण प्रदूषण का उच्च स्तर उत्पन्न होता है, जिससे दिल्ली-एनसीआर और स्थानीय समुदायों में वायु गुणवत्ता खराब होती है।
- **भूजल और जल संसाधनों की कमी:** खनन प्राकृतिक भूजल पुनर्भरण को बाधित करता है, पानी की कमी की ओर जाता है, और झीलों और आर्द्रभूमियों को सुखा देता है जो स्थानीय पारिस्थितिकी और मानव उपयोग के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **वन आवरण और जैव विविधता का नुकसान:** खनन, चराई और मानव अतिक्रमण के कारण वनों की कटाई देशी वनस्पति और आवास को कम करती है, जिससे प्रजातियों और पारिस्थितिक कार्यों को खतरा होता है।
- **नई परिभाषा मानव वन्यजीव संघर्ष की ओर ले जाती है:** अरावली पहाड़ियों को परिभाषित करने के लिए 100-मीटर की ऊंचाई के नए मानदंड ने आलोचना को जन्म दिया है; विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह संरक्षित पारिस्थितिक क्षेत्रों को बाहर कर सकता है, जिससे वन्यजीवों के आवास सिकुड़ सकते हैं और क्षेत्र में मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ सकता है।

अरावली के संरक्षण के लिए विभिन्न पहल -

पहल/उपाय	कार्यान्वयन प्राधिकरण	प्रमुख विशेषताएँ
अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट (2025)	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार	गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के 29 जिलों में 5 किलोमीटर का हरित क्षेत्र; देशी प्रजातियों के वृक्षारोपण
अरावली के जीर्णोद्धार के लिए विस्तृत कार्य योजना (डीएपी)	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	वनरोपण, जल निकायों का पुनरुद्धार, खनन स्थलों का पुनर्स्थापन; एमएनआरईजीए और सीएएमपीए के साथ समन्वय
राज्य पुनर्वास कार्यक्रम	राज्य सरकारें (जैसे, हरियाणा, राजस्थान)	पहाड़ी पुनर्वास, सामुदायिक वानिकी, हरित आवरण विस्तार
पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों का संरक्षण (जैसे, मंगर बानी)	राज्य सरकारें/न्यायालय	निर्माण निषेध और खनन निषेध संबंधी सूचनाएं

आगे की राह -

- संपूर्ण अरावली परिदृश्य को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील(eco-sensitive) या महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्र घोषित करके उसे वैधानिक पारिस्थितिक संरक्षण प्रदान करना।

- खनन और निर्माण गतिविधियों का सख्त नियमन और निगरानी सुनिश्चित करना, जिसमें अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए रियल-टाइम (वास्तविक समय) निगरानी और कठोर दंड शामिल हों।
- 'अरावली ग्रीन वॉल' जैसी पहलों के तहत बड़े पैमाने पर पारिस्थितिक बहाली को लागू करना, जिसमें देशी प्रजातियों के साथ वनीकरण, खनन स्थलों का पुनर्वास और जल निकायों का पुनरुद्धार शामिल है।
- एक्विफर (भूजल) पुनर्भरण क्षेत्रों, वन्यजीव गलियारों और विकास के लिए 'नो-गो' क्षेत्रों की पहचान करने हेतु व्यापक वैज्ञानिक मानचित्रण और निरंतर निगरानी करना।
- समन्वित शासन के लिए राज्य सरकारों, स्थानीय समुदायों और एक समर्पित 'अरावली संरक्षण प्राधिकरण' को शामिल करते हुए संस्थागत और सामुदायिक भागीदारी तंत्र को सुदृढ़ करना।

स्रोत: द हिंदू

प्रारंभिक परीक्षा

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर गोल्डर समिति की सिफारिशें

संदर्भ

प्रोफेसर बी.एन. गोल्डर की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सलाहकार समिति (ACNAS) ने राष्ट्रीय लेखा के आधार वर्ष में संशोधन की सिफारिश की है।

सिफारिशें क्या हैं?

- **आधार वर्ष अद्यतन:** वर्तमान आर्थिक संरचना को प्रतिबिंबित करने के लिए **2011-12 से 2022-23 तक राष्ट्रीय लेखा आधार वर्ष में संशोधन की सिफारिश की गई है।**
- **बेहतर डेटा एकीकरण:** जीएसटी डेटा, डिजिटल अर्थव्यवस्था संकेतक, पीएलएफएस और अन्य प्रशासनिक स्रोतों सहित नए और अद्यतन डेटासेट का प्रस्तावित समावेश।
- **संरचनात्मक परिवर्तनों को समझना:** इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलावों, जिनमें औपचारिकीकरण और क्षेत्रीय परिवर्तन शामिल हैं, का बेहतर हिसाब रखना है।
- **अनौपचारिक और डिजिटल अर्थव्यवस्था कवरेज:** जीडीपी अनुमानों की सटीकता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए अनौपचारिक क्षेत्र और डिजिटल गतिविधियों के बेहतर आकलन की मांग की गई।

स्रोत: पीआईबी

जंपिंग जीन(Jumping Genes)

संदर्भ

एक नए अध्ययन में पाया गया है कि ग्रीनलैंड में कुछ भालू अपने डीएनए को संशोधित करने के लिए जंपिंग जीन का उपयोग कर रहे हैं।

जंपिंग जीन के बारे में -

- **ये गतिशील डीएनए (DNA) अनुक्रम हैं जो किसी जीव के जीनोम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो सकते हैं।**
- **कार्य:** विभिन्न जीनोमिक स्थलों पर इनका निवेशन (insertion) जीन अभिव्यक्ति (gene expression) को परिवर्तित कर सकता है, जो कभी-कभी अनुकूलन लक्षणों (adaptive traits) को जन्म देता है।
- ये आनुवंशिक भिन्नता और विकास को गति दे सकते हैं, तथा जीवों को पर्यावरणीय तनाव के प्रति अनुकूलित होने में सहायता कर सकते हैं।
- **खोज: इनकी पहचान बारबरा मैक्लिंटॉक द्वारा की गई थी, जिन्हें 1983 में शरीर क्रिया विज्ञान (Physiology) या चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।**

स्रोत: लाइव साइंस

एस्पायर योजना

संदर्भ

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ASPIRE (नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना) योजना लागू कर रहा है।

एस्पायर योजना के बारे में -

- **लॉन्च: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा 2015 में पेश किया गया।**
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेटरों (LBIs) का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करके नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **कौशल विकास:** विशेष रूप से कृषि आधारित और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं, स्व-नियोजित व्यक्तियों और मजदूरी कमाने वालों को कुशल और पुन: कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है।
  - **पूंजी सहायता:** संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए सरकारी एजेंसियों को ₹1 करोड़ और निजी एजेंसियों को ₹75 लाख तक प्रदान करता है।
  - **परिचालन सहायता:** जनशक्ति और इनक्यूबेशन लागत सहित परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए सरकारी और निजी दोनों एजेंसियों को ₹1 करोड़ तक की पेशकश करता है।

स्रोत: डीडी न्यूज

नाट्यशास्त्र

संदर्भ

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) ने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत संरक्षण संबंधी अंतरसरकारी समिति के 20वें सत्र के दौरान नई दिल्ली के लाल किले में "नाट्यशास्त्र - सिद्धांत और व्यवहार का संश्लेषण" शीर्षक से एक शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन किया।

नाट्यशास्त्र क्या है?

- **नाट्यशास्त्र प्रदर्शन कलाओं (performing arts) पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, जिसका श्रेय पारंपरिक रूप से भरत मुनि (लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व–दूसरी शताब्दी ईस्वी) को दिया जाता है।**
- **यह नाटक (natya), नृत्य (nritya), संगीत (sangeeta), मंचकला (stagecraft), सौंदर्यशास्त्र और नाट्यकला के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक आधार प्रस्तुत करता है।**
- इस ग्रंथ के केंद्र में रस (सौंदर्यात्मक अनुभव) की अवधारणा है, जो यह व्याख्या करती है कि भाव, अभिनय, राग, ताल और नाट्य के माध्यम से दर्शकों में भावनाओं को कैसे जागृत किया जाता है।
- यह प्रदर्शन को एक समग्र ज्ञान प्रणाली के रूप में मानता है, जिसमें दर्शन, मनोविज्ञान, नैतिकता और कलात्मक तकनीक का एकीकरण किया गया है।
- **वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त, नाट्यशास्त्र को यूनेस्को (UNESCO) के 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर' (Memory of the World Register) में सम्मिलित किया गया है, जो इसके सभ्यतागत महत्व को रेखांकित करता है।**

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) के बारे में -

- **स्थापना:** 1987
- भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन
- **अधिदेश:** भारत की कला, संस्कृति, विरासत और ज्ञान प्रणालियों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रलेखन केंद्र के रूप में कार्य करता है।
- **मुख्य फोकस क्षेत्र:**
  - प्रदर्शन कला, दृश्य कला, वास्तुकला, साहित्य, दर्शन और सांस्कृतिक इतिहास
  - कला, विज्ञान, पारिस्थितिकी और समाज को जोड़ने वाले अंतःविषय अनुसंधान
- **कार्य:**
  - सांस्कृतिक ज्ञान का अनुसंधान, प्रलेखन, प्रकाशन और संग्रह
  - सेमिनार, प्रदर्शनियों, शैक्षणिक कार्यक्रमों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आयोजन
- **विरासत संरक्षण में भूमिका:**
  - अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सहित यूनेस्को सांस्कृतिक सम्मेलनों के साथ सक्रिय जुड़ाव
  - नाट्यशास्त्र जैसे शास्त्रीय ग्रंथों को जीवित ज्ञान परंपराओं के रूप में बढ़ावा देता है
- **स्थान:** नई दिल्ली

स्रोत: पीआईबी

समाचार में स्थान

मिंडानाओ द्वीप

समाचार? बोंडी द्वीप पर गोलीबारी करने वाले हमलावर घटना से कुछ सप्ताह पहले मिंडानाओ द्वीप के दक्षिणी हिस्से में गए थे।

मिंडानाओ द्वीप के बारे में -

- **अवस्थिति: फिलीपींस का सबसे दक्षिणी प्रमुख द्वीप,**
- इसकी सीमाएँ सुलू सागर, सेलेबेस सागर और फिलीपीन सागर से लगती हैं।
- **आकार:** फिलीपींस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप (लूज़ोन के बाद)।
- **सामरिक जल:** दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले प्रमुख समुद्री मार्गों के पास।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस